

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक:— 14.01.2025

चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु सहायक आचार्य (Broad Speciality)—Anaesthesia के पदों के लिए सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु आयोग द्वारा दिनांक 05.05.2022 को संवीक्षा परीक्षा—2021 आयोजित की गई थी।

उक्त संवीक्षा परीक्षा के फलस्वरूप निम्नलिखित रोल नम्बर वाले अभ्यर्थियों को पात्रता की जाँच हेतु विचारित सूची (Provisional List of Candidates for Eligibility Checking) में अस्थाई रूप से सम्मिलित किया जाता है—

रोल नम्बर

100006	100010	100011	100017	100019	100021
100022	100023	100025	100027	100029	100034
100035	100036	100039	100041	100047	100052
100055	100057	100058	100060	100066	100068
100070	100074	100075	100080	100083	100087
100090	100092	100096	100099	100109	100117
100120	100121	100125	100126	100128	100129
100130	100131	100133	100147	100151	100152
100153	100160	100164	100168	100178	100179
100180	100181	100184	100185	100189	100195
100198	100201	100203	100206	100208	100211
100217	100218	100219	100224	100227	100231
100234	100237	100238	100240	100241	100242
100244	100245	100247	100250	100251	100252
100253	100256	100257	100258	100263	100264
100265	100266	100267	100269	100270	100271
100272	100275	100277	100279	100280	100286
100288	100293	100295	100303	100304	100306
100309	100313	100317	100320	100321	100326
100327					

TOTAL CANDIDATES: - 115

यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों की सूची नहीं है। साक्षात्कार हेतु अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के पश्चात् जारी की जावेगी।

उपरोक्तानुसार विचारित सूची में अस्थाई रूप से सम्मिलित किये गये अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाईट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर 02 प्रतियों में उसे पूर्ण रूप से भरकर मय समस्त शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक, जाति एवं अन्य वांछित प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रति के दिनांक 27.01.2025 सायं 6 बजे तक आवश्यक रूप से आयोग कार्यालय में भिजवा दें।

आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों/नियमों के अनुसार की जावेगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता आयोग द्वारा रद्द कर दी जायेगी तथा पात्र पाये गये अभ्यर्थियों में से साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया जावेगा।

(रामनिवास मेहता)
सचिव